

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2016/आषाढ़ 3, 1938	[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 80]
No. 123]	DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2016/ASADHA 3, 1938	[N.C.T.D. No. 80]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 जून, 2016

सं. फा. 16 (510)/श.वि./जल/2015/1031-1032—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 24 मार्च, 2015 के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 29 मई, 2015 के पत्र सं० 3/24(10)/2015-आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 29 मार्च, 1996 की अधिसूचना संख्या फा. 16 (03)/95-श.वि./4599 द्वारा अधिसूचित **उप-निदेशक (बागवानी)** भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में **उप-निदेशक (बागवानी)** के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ**— (1) इन विनियमों को **उप-निदेशक (बागवानी)**, दिल्ली जल बोर्ड भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा पे बैंड तथा ग्रेड पे/उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता**—कोई भी व्यक्ति  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या  
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

#### अनुसूची

1.	पदनाम	:	<b>उप-निदेशक (बागवानी)</b>
2.	पदों की संख्या	:	02 (2015) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग "क"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे / वेतनमान	:	पी बी-3, 15600-39100 /—रुपये + ग्रेड पे 6600 /रुपये
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं (इन नियमों की अधिसूचना की तिथि पर नियमित आधार पर सहायक निदेशक (बागवानी) का पदधारी को भर्ती के लिये कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये दी गई योग्यताएं धारण करने से छूट प्राप्त होगी)
9.	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	पदोन्नति वालों के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होने हो तो ग्रेड जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	<p><b>पदोन्नति:</b> पे बैंड-2 में 9300-34800 /—रुपये के वेतनमान में ग्रेड पे 4600 /—रुपये सहित सात वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा दिल्ली जल बोर्ड संस्थान से संबंधित क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सहायक निदेशक (बागवानी)।</p> <p><b>टीप-1:</b> जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्त कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>टीप-2:</b> पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</b> केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्धसरकारी/स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन के निम्नलिखित अधिकारी— क (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले, अथवा (2) पे बैंड-3 में 15600-39100 /—रुपये के वेतनमान में ग्रेड पे 5400 /—रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष, अथवा (3) पे बैंड-2 में 9300-34800 /—रुपये के वेतनमान में ग्रेड पे 4600 /—रुपये सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में सात वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष, अथवा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बागवानी विषय सहित कृषि में एम.एससी. अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बागवानी विषय सहित वनस्पति विज्ञान में एम.एससी. अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बागवानी में एम.एससी. अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बागवानी सहित पुष्पकृषि तथा मुदा या निर्माण में एम.एससी. उद्यान सज्जा सहित बागवानी में तीन वर्ष का अनुभव तथा दो वर्ष का प्रशासनिक अनुभव</p> <p><b>टीप-1:</b> भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।</p> <p><b>टीप-2:</b> केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद</p>

		<p>में प्रतिनियुक्ति (अत्यकालिक सविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अत्यकालिक सविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टीप-3:</b> प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 (जिस तिथि से छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहाँ पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहाँ ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<p>“क” वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष</li> <li>2. सदस्य (प्रशासन) – सदस्य</li> <li>3. सदस्य (जल) – सदस्य</li> </ol>
13.	ये परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

## URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 23rd June, 2016

**No. 16(510)/UD/W/2015/1031-1032.**—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause(m) of sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated the 24<sup>th</sup> March, 2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F. .No. 3/24(10)/2015-RR dated the 29<sup>th</sup> May, 2015 and in supersession of the Deputy Director (Horticulture) recruitment and promotion regulations notified vide notification No. F. 16 (3)/95-UD/4599 dated the 29<sup>th</sup> March, 1996 except as respect things done or omitted to be done before such supersession regarding method of recruitment to the post of Deputy Director (Horticulture) in the Delhi Water Board, Delhi, are hereby published, namely:-

- 1. Short title and commencement.**—These regulations may be called the Deputy Director (Horticulture) in Delhi Jal Board Recruitment Regulations, 2016.
- 2. Number of posts, Classification and pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. Disqualification.**—No person,
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the service:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

- 5. Power to relax.**—Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other backward classes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director (Horticulture).	2* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Category 'A'.	PB -3, Rs. 15600-39100/- plus Grade pay Rs. 6600/-	Selection.	Not Applicable.	Not Applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and % of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10
Not Applicable. The incumbents holding post of Assistant Director (Horticulture) on regular basis on the date of notification of these rules shall be exempted from the requirement of possessing the qualifications laid down for direct recruits under col. (7).	Two years for promotees.	By Promotion failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p><b>Promotion :</b></p> <p>Assistant Director (Horticulture) in PB 2, Rs. 9300-34800 with Grade pay of Rs. 4600/- with seven years regular service and have undergone one week training in the related field from Delhi Jal Board Training Institute.</p> <p><b>Note 1 :</b></p> <p>Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service , or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>	<p><b>Category-A Departmental Promotion Committee(for considering promotion):-</b></p> <p>1. Chairman/Member of Union Public Service Commission -Chairman</p> <p>2. Member (Admn.) -Member</p> <p>3. Member (W) -Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p>

**Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

**Deputation(ISTC):**

Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Universities/ Recognized Research Institution/Public Sector Undertakings/Semi government/ Autonomous or statutory organizations:--

(A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department: OR

(ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-3, Rs. 15600-39100 with Grade pay of Rs. 5400/- or equivalent in the parent cadre/department; OR

(iii) With seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band 2, Rs. 9300-34800/- with Grade pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre/ department; And

(B) Possessing the following educational qualifications and experience.

M.Sc in agriculture with Horticulture as a subject from a recognized university/institute; Or

M.Sc. in Botany with Horticulture as a subject from a recognized University/institute; Or

M.Sc in Horticulture from a recognized University/ Institute; Or

M.Sc. in Floriculture and Landscaping from a recognized university/institute; and

Three years experience in Horticulture including ornamental gardening and including two years administrative experience.

**Note1:**

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note2:**

Period of deputation(ISTC) including

<p>period of deputation(ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> <p><b>Note3 :</b></p> <p>For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any ungradation.</p>		
---	--	--

By Order and in the Name of  
Government of National Capital Territory of Delhi,  
R. C. KESARWANI, Asstt. Director (W)